

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2015—पौष 9, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. एफ बी-4-16-2015-2-पांच(24).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निदेश देती है कि वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, जबलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रथम तिमाही के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क निम्नलिखित शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) बीमा की प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जायेगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का उपरोक्त रीति से भुगतान कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान किए गए समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा.
- (2) प्रथम तिमाही के लिए मध्यप्रदेश के केवल किसी सरकारी खजाने में जमा की गई समेकित रकम रुपये 15.04 लाख (रुपये पन्द्रह लाख चार हजार) के भुगतान के चालान की एक प्रति परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन, जबलपुर को प्रस्तुत की जाएगी.
- (3) उस अवधि के, जिसके कि लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बीमित रकम की पॉलिसियों की संख्याएं तथा दो तिमाहियों पर पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम समाविष्ट करने वाला विवरण परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन कार्यालय, जबलपुर को प्रस्तुत किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. एफ बी-4-16-2015-2-पांच(24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ बी-4-16-2015-2-पांच(24), दिनांक 30 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 30th December 2015

No. F. B-4-16-2015-2-V(24).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby directs that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, Jabalpur during the first quarter of financial year 2015-16 may be consolidated and paid into any Government Treasury in the Madhya Pradesh on the following conditions, namely :—

- (1) It shall be indicated by an endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
- (2) A copy of the Challan of payment of consolidation amount of Rs. 15.04 Lakhs (Rupees Fifteen Lakhs Four Thousand) only, in any Government Treasury of Madhya Pradesh for First Quarter shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.
- (3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policies numbers of sum insured and the exact amount of stamp duty paid on the policies at the end of First quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.